FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

लाड बाई बनाम मनोहरी

किस्म मुकदमा धारा 7/23 प्रकरण संख्या 07/23

GCMS नम्बरः– 2023/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/8/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते R.O (TAR) आगामी दिनांक 9/9/25 को पेश हो।	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार बिजौलियाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 16/9/25 को पेश हो।	
16/9/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 23/9/25 को पेश हो।	
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अभिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 14/10/25 को वास्ते बहस/निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
14/10/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में आदेश व डिक्री जारी की गई पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 07 / 2023 दायर दिनांक 12.04.2023

अनवान

01. लाड बाई पत्नि कैलाश जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी कामां तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. संजु देवी पत्नि मुकेश जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी कामां तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........वादीगण

बनाम

01. मनोहरी देवी पत्नि प्रभुलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मांगी बाई पत्नि मोहनलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मांगीलाल पुत्र गोपीलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0) **मृतक**
   - **3.1 भगवानलाल पुत्र मांगीलाल** जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - **3.2 पुजा पुत्री मांगीलाल** जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - **3.3 रामकन्या पत्नि स्व. मांगीलाल** जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोत्या बाई पत्नि भैरूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

......प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री सुनिल बाकलीवाल – विद्वान अधिवक्ता वादी
02. पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14/10/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र **अन्तर्गत** धारा **53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.09.2023 को प्राथमिक **डिक्री** इस आशय की जारी हुयी कि मौजा **ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा** तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 133 पर अंकित आराजी नम्बर 271 रकबा 0.6232 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस** के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1449 दिनांक 08.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	लाड बाई पत्नि कैलाश 1/2 गुर्जर, संजु देवी पत्नि मुकेश 1/2 गुर्जर सा0 कामां खातेदार	गणेशपुरा	271/2	0.3116
	योग		**खसरा 01**	**0.3116**
02	**कन्यादेवी पत्नि स्व. मांगीलाल 1/12 पुजा पुत्री मांगीलाल 1/12 भगवानलाल पुत्र मांगीलाल 1/12** मनोहरी देवी पत्नि प्रभुलाल 1/4 मांगी बाई पत्नि मोहनलाल 1/4 मोत्या बाई पत्नि भैरूलाल 1/4 तेली सा0 देह खातेदार	गणेशपुरा	271/1	0.3116
	योग		**खसरा 01**	**0.3116**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिव की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां